उपखण्ड स्तरीय वन समिति की बैठक
- का कार्यवाही विवरण -

आज दिनांक 17/07/17 को उपखण्ड
स्तरीय वन समिति की बैठक का आयोजन
किया गया, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
खण्डवा, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन
उपसंभाग, श्रीकृष्णगांव तथा वन विभाग के
उपवन मण्डलाधिकारी खण्डवा (सामान्य)
उपस्थित हुए। बैठक में विकासखण्ड श्रीकृष्णगांव
के ग्राम रोशिया के निकट स्थानीय नाले पर
प्रस्तावित रोशिया तालाब योजना को म०प्र०
शासन जल संसाधन विभाग द्वारा प्रशासकीय
स्वीकृति शासन के पत्र क्रमांक एफ-22/24/17/
म.सि/31/531, दिनांक 24.03.2017 के द्वारा
लागत रु. 3318.30 लाख की 953 हे० रबी
क्षेत्र के लिए प्रदान की गई है।
योजना के डूब क्षेत्र में 26.45 हे०
वन भूमि प्रभावित होना पाया गया है।
प्रभावित वन भूमि के सत्यापन हेतु वन
विभाग एवं जल संसाधन विभाग के
अधिकारी कर्मचारियों द्वारा दिनांक 15/07/17
को स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया
जा चुका है। जिसमें मौके पर प्रभावित
वन भूमि का रकबा 26.45 हे० पाया गया
योजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित 26.45 हे०
वन भूमि जो ग्राम पंचायत नावली,

जनपद पंचायत खेगाँव-मारवा, जिला-खण्डवा के ग्राम तोरनी के आरक्षित वन क्षेत्र रोशियार के कक्ष क्र. 05 में है। वनभूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र में विकास की संभावना को देखते हुए ग्राम सभा की ग्राम पंचायत जावली द्वारा सहमति प्रदान की जा चुकी है।

अतः उपखण्ड स्तरीय वन समिति ने निर्णय लिया गया की वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का वन अधिकार पट्टे के प्रकरण लंबित नहीं है। व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है। उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती हूँ।

टी.एल. चौहान

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन क्र. 1 भीकनगाँव

उप व.म.अ.
खण्डवा (सामान्य)
11/9/17

अनुविभागीय अधिकारी
खण्डवा (म.प्र.)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत छैगाँवमाखन